

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 5065/2025

जाहिर सिंह एवं 2 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: हरि शंकर सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता: अचल सिंह, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
2. याचिकाकर्ताओं ने बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी (संक्षेप में 'सेटलेमेंट अधिकारी') द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.11.2025 को चुनौती देते हुए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का उपयोग किया है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता और साथ ही गांव सभा के विद्वान अधिवक्ता ने उप संचालक चकबंदी के न्यायालय में जाने के वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के आधार पर, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध वर्तमान रिट याचिका की पोषणीयता के संबंध में एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई है।
4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता स्वीकार की है।
5. इस प्रकार, वर्तमान रिट याचिका उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन सलाह के अनुसार, उचित न्यायालय के समक्ष जाने के वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के आधार पर पोषणीय न होने के कारण खारिज की जाती है।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

वी.के.जी.